

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 95/2025 – निगरानी

उनवान प्रकरण

- | | | |
|--|------|--|
| 1. लादुलाल पुत्र रोशन लाल महाजन निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल उदयपुर राज० | बनाम | 1. गुड्डी देवी पत्नि श्री राम गोपाल टांक निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा |
| 2. भगवती लाल पुत्र रोशन लाल महाजन निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल उदयपुर राज० | | 2. ग्राम पंचायत करेड़ा जरिए सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा |
| 3. शुभकरण पुत्र रोशन लाल महाजन निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल उदयपुर राज० | | |

–निगराकार

– गैर निगराकार



**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध
ग्राम पंचायत करेड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 28.03.2013**

उपस्थित –

1. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री प्रताप तेली अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.08.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत करेड़ा द्वारा आबादी ग्राम करेड़ा की आराजी संख्या 4051 में से पत्रावली संख्या 279/15.12.2010 के जरिए पट्टा संख्या 35/28.03.2013 नपती 45 फिट बाई 18 फिट जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 का कोई कब्जा मौके पर नहीं है और न ही उक्त आम रास्ते पर हो सकता है। उक्त पडौसों के मध्य उक्त नपती का कोई भूखण्ड मौके पर विद्यमान ही नहीं है। निगराकारान के पिता रोशन लाल ने अपनी जीवनकाल मे ही स्वयं की आराजी संख्या 4040 से सटमा उत्तरी दिशा में पड़त तलिया अर्थात स्ट्रीप ऑफ लेण्ड जो पश्चिम की तरफ 2 गज चौड़ी, पूर्व की तरफ 7 गज चौड़ी भूमि का नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पत्रावली संख्या 3/2034 के जरिए वर्ष 1977 में बापी

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 की ओर से राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत करेड़ा द्वारा आबादी ग्राम करेड़ा की आराजी संख्या 4051 में से पत्रावली संख्या 279/15.12.2010 के जरिए पट्टा संख्या 35/28.03.2013 नपती 45 फिट बाई 18 फिट जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 का कोई कब्जा मौके पर नहीं है और न ही उक्त आम रास्ते पर हो सकता है। उक्त पडौसों के मध्य उक्त नपती का कोई भूखण्ड मौके पर विद्यमान ही नहीं है। निगराकारान के पिता रोशन लाल ने अपनी जीवनकाल मे ही स्वयं की आराजी संख्या 4040 से सटमा उत्तरी दिशा में पड़त तलिया अर्थात स्ट्रीप ऑफ लेण्ड जो पश्चिम की तरफ 2 गज चौड़ी, पूर्व की तरफ 7 गज चौड़ी भूमि का नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पत्रावली संख्या 3/2034 के जरिए वर्ष 1977 में बापी अधिकारों से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। सी०ई०ओ द्वारा जांच कमेटी गठित की जिस पर विस्तृत जांच रिपोर्ट/जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2025 को प्रस्तुत किया। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत करेड़ा द्वारा शिकायतकर्ता/निगराकारान की आराजी संख्या 4040 के आगे आराजी संख्या 4051 पर रियायती दर पर नियम 158 प्रपत्र 23(ग) में पट्टे जारी किए गए हैं। लेकिन पट्टाधारी अर्थात गैर निगराकार संख्या 1 नियम 158 की पात्रता नहीं रखते हैं, क्योंकि गैर निगराकार के पास पूर्व से ही पुश्तैनी मकान है, जिनके विवरण व फोटोग्राफ जांच रिपोर्ट में संलग्न है। जांच रिपोर्ट/प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है कि तथाकथित पट्टे की भूमि पर कोई किसी प्रकार से गैर निगराकार संख्या 1 का कब्जा नहीं है। निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमा कर ग्राम पंचायत करेड़ा द्वारा जारी तथाकथित पट्टा संख्या 35 जो पत्रावली संख्या 279 दिनांकित 15.12.2010 के जरिए किया गया, को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है और निगराकारान की निगरानी स्वीकार कर हस्तगत पट्टा निरस्त किए जाने में गैर निगराकारान संख्या 1 को कोई आपत्ती नहीं है। गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में, ग्राम पंचायत करेड़ा द्वारा पट्टा संख्या 35



अति
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

अवैध तरीके से पटटा जारी किया गया है, जो पंचायतीराज अधिनियम के विहित नियमों के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य ठहरता है।

निगराकार द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे के खारिज किये जाने के संबंध में लगाये गये आक्षेपों के संबंध में निगरानी के पक्षकारान् (निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01) द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मे प्रश्नगत पटटा गलत तौर पर जारीशुदा हैं। जिसे निरस्त किये जाने में विपक्षी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं। उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र पर निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान अपने अपने अधिवक्ताओं द्वारा की गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत करेडा द्वारा प्रश्नगत पटटा संख्या 35 दिनांक 28.03.2013 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के विहित नियमों के विरुद्ध होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत करेडा द्वारा जारी पटटा संख्या 35 दिनांक 28.03.2013 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के विहित नियमों के विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत करेडा तहसील करेडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा